विचार बिन्दु

जो वस्तु आनंद प्रदान नहीं कर सकती, वह सुन्दर हो ही नहीं सकती। –प्रेमचंद

चुनाव आयोग के अधिकार की शक्ति गाइडेड मिसाइल से कम नहीं है

वर्षा की तरह चुनाव का मौसम भी प्रारम्भ होने वाला है। इस वर्ष के अंत तक राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, तेलंगाना तथा मिजोरम में चुनाव होने वाले हैं। संविधान के भाग XV में चुनाव व चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान हैं। अनुच्छेद 324 में यह स्पष्ट घोषणा है कि इस अनुच्छेद में जिन चुनावों का उल्लेख है उनका संचालन का अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण, एक आयोग में निहित होगा जिसे 'चुनाव आयोग' के नाम से कहा गया है।

चुनाव आयोग का मत है कि 'चुनाव आयोग' को अपरिमित अधिकार हैं (Plenary Powers) उसे कार्यपालिका, विधायिका व Quasi Judicial Powers के अधिकार हैं। चुनाव संबंधित कानून भी हैं। चुनाव कानूनों में समय के साथ सुधार होते रहते हैं, किन्तु कई बार चुनाव कानूनों में स्पष्ट संदेश नहीं मिलता वहां चुनाव आयोग को Direction (निर्देश) जारी करने के अधिकार है। चुनावों में चुनाव आयोग व जनता व पोलिटिकल पार्टिज से अपेक्षा करता है कि चुनाव शांतिपूर्वक हो और निष्पक्ष हो। चुनाव कानूनों का उद्देश्य है कि मतदाता अपने मत का अधिकार स्वेच्छा से, बिना किसी प्रलोभन के हो और कुछ राजनैतिक पार्टियों के नेताओं व ब्यूरोक्रेसी में Unholy Alliance होने के कारण चुनाव की प्रक्रिया पर दाग है। मतदाताओं में शिक्षा का अभाव तथा कानूनों की जानकारी न होना तथा उनकी गरीबी है इनमें सुधार की आवश्यकता है।

हमारा देश संसार का सबसे बडा लोकतंत्र है, अत: चुनाव निष्पक्ष हों और कालेधन का उपयोग चुनावों में नहीं हों। चुनाव जिताने में Malpractice का उपयोग होता है। चुनाव कानून में प्रावधान है कि मतदाता को प्रलोभन देकर, भय दिखाकर मत प्राप्त करना अपराध है और अपेक्षा है चुनाव भय मुक्त हो जनता को जानकारी उपलब्ध होना चाहिये कि मतदाता जिसे अपना मत देना चाहता है, वह चरित्रवान व्यक्ति है और संविधान को मानता है और मूल कर्त्तव्य की पालना करता है। चुनावों के नतीजें साबित करते हैं कि कई केन्डीडेटस ऐसे हैं, जिन पर मुकदमें चल रहे हैं 2 वर्ष व उससे अधिक की सजा होने पर उम्मीदवार को चुनाव लडने से अयोग्य किया जा सकता है।

समय-समय पर चुनाव आयोग ने उपरोक्त Malpractice को रोकने के लिये निर्देश जारी किये हैं, जब इस बाबत कानून स्पष्ट नहीं था। एक केस में पहली बार चुनाव आयोग ने Association of Democratic Reforms vs Union of India & Others (रिट पिटिशन नं. 8257/1990) में दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि मतदाता को यह जानने का अधिकार है कि :-

जिस उम्मीदवार को वह मत दे रहा है क्या वह सजा पा चुका है जिसमें जेल जाने की सजा है ऐसे केसों के संक्षिप्त विवरण देने चाहिये।

उम्मीदवार व उसकी धर्मपत्नि तथा Dependent Relation की सम्पत्ति का विवरण।

उम्मीदवार कितना पढा-लिखा है और क्या वह चुनाव जीतने के बाद अपने पद के उत्तरदायित्व को निभा सकता है।

चुनाव आयोग को यह अधिकार प्राप्त है कि राजनीतिक पार्टी जिसके टिकिट पर उम्मीदवार चुनाव लड रही है उनके संबंध में जानकारी प्राप्त कर सके।

उपरोक्त केस की अपील यूनियन ऑफ इण्डिया ने सुप्रीम कोर्ट में की (Appeal No.7176 of 2007)

उक्त अपील में यह प्लीड किया कि हाईकोर्ट को उक्त निर्देश न देकर, पिटीशनर्स को यह निर्देश देना चाहिये था कि वे संसद में चुनाव कानून में संशोधन कराने की कार्यवाही करे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिनांक 02.05.2002 के आदेश में निम्नलिखित निर्देश दिये :-

सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि चुनाव आयोग को वृहत अधिकार हैं चुनाव की सभी क्रिया में चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 में अधिकार है।

जब तक चुनाव कानून में संशोधन न हो जावे जब तक नये निर्देश चुनाव आयोग दे सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कन्हैयालाल के केस (AIR 1986 SC 111) में चुनाव आयोग के वृहत अधिकारों को सही माना।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उम्मीदवार की सम्पत्ति व उसके विरूद्ध फौजदारी मुकदमों की कार्यवाही का पूरा विवरण देना चाहिये। उम्मीदवार के लिये यह भी आवश्यक माना है कि वे अपनी व परिवार की सम्पत्तियों का पूरा विवरण दें।

उम्मीदवार की शिक्षा का विवरण दें।

उम्मीदवार के ऊपर कितना कर्जा है उसका विस्तार से विवरण देना होगा।

चुनाव आयोग ने उपरोक्त वर्णित कार्यवाही के बाद भारत सरकार को प्रतिवेदन भेजना और आग्रह किया कि The Conduct of Election Rules, 1961 को संशोधित किया जावे, किन्तु भारत सरकार ने इस संबंध अर्थात नोमिनेशन पेपर्स के विवरण के बारे में कोई कदम नहीं उठाया आज्ञा दिनांक 02.05.2002 पालना नहीं की तो चुनाव आयोग ने अनुच्छेद 324 के तहत दिये गये वृहत अधिकारों के तहत Directionss जारी की वे इस प्रकार हैं :-

चुनाव कानून में प्रावधान है कि मतदाता को प्रलोभन देकर, भय दिखाकर मत प्राप्त करना अपराध है और अपेक्षा है चुनाव भय मुक्त हो जनता को जानकारी उपलब्ध होना चाहिये कि मतदाता जिसे अपना मत देना चाहता है, वह चरित्रवान व्यक्ति है और संविधान को मानता है और मूल कर्त्तव्य की पालना करता है।

1) उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल करते समय उन पांच विषयों का विवरण शपथ द्वारा पेश करेगा, जिसका उल्लेख 2.5.2002 के आदेश में शपथ पत्र नोटरी पब्लिक या अन्य अधिकृत एजेन्सी द्वारा कराया जावेगा। शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करना न्यायालय की अवज्ञा माना जावेगा। यदि विवरण गलत हो या महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाया गया है तो उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही हो यों आईपीसी के तहत कार्यवाही हो सकती है।

उपरोक्त जानकारी विशेष अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर लगाई जावेगा और सूचनार्थ विरूद्ध पक्ष के उम्मीदवार व मिडिया को दी जावेगी। विरूद्ध पक्ष के उम्मीदवार द्वारा सही जानकारी उपरोक्त विधि से नहीं दी गई तो उस पर वही कानून लागू होगा।

यहां यह कहना समीचीन होगा कि जहां स्टेचूटरी कानून न हो वहां चुनाव आयोग के निर्देश उचित कानून माने जावेंगे। सरकार ऑर्डिनेन्स लाकर, निर्देशों को निरस्त नहीं कर सकती।

सुप्रीम कोर्ट ने गरीब मतदाता के अधिकार को बहुत महत्व दिया है। मतदाता के लिये सुप्रीम कोर्ट ने Little Man का प्रयोग किया है और निर्णय में उल्लेख किया है कि Little Man के इस मूल अधिकार की रक्षा आवश्यक है। उसे यह अधिकार भी है कि वह विरूद्ध पक्ष के उम्मीदवार के इतिहास की जानकारी ले सके। उसके चरित्र के संबंध की क्या वह सजायाफ्ता तो नही है। क्या वह राज्य का कर्जदार है। दिनांक 2.5.2002 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को Ordinance लाकर चुनौती नहीं दी जा सकती। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयोग, जहां कोई कानून नहीं है वहां कानून बना सकता है।

देश के मतदाता (Little Man) को उम्मीदवार के Antecedents जानने का अधिकार प्राप्त हैं। यह उसका मूल अधिकार है। इसका खण्डन करना संविधान के मूल स्ट्रक्चर का उल्लंघन है संविधान की रक्षक सुप्रीम कोर्ट की आज्ञा को न मानना और उसे Ordinance से Nullify करना संवैधानिक नहीं है। एस.एस. भोला के केस में (1997) 8 SCC 522 में विस्तार से माना गया है। यह Fraud है।

आगामी दोनों चुनाव असाधारण होंगे। अत: हमें पूर्व इतिहास से सीखना चाहिये। हमारे चुनाव कानून बहुत पुराने हैं। चुनाव कानून में नोमीनेशन पेपर को अधिक महत्व दिया है समस्त कानून शपथ पत्र में 5 विषयों पर विवरण देने तक सीमित है। वर्तमान परिस्थितियों में नोमीनेशन पेपर में दी गई जानकारी को बाध्यकारी करना चाहिये। कालेधन वालों और सजायाफ्ताओं को अथवा संघीन केस में चार्ज लगने पर चुनाव लडने से रोकना होगा।

आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं किन्तु अभी भी हमारे कई सांसद व विधायक मिडिल पास भी नहीं हैं जबकि अनुच्छेद 45 में 26.1.1950 को 10 वर्ष की अवधि 1 से 14 वर्ष के बालक आठवीं कक्षा पास हो चुके होते। अत: कानून में संशोधन होना चाहिये। सांसद के लिये क्वालिफिकेशन कम से कम बीए पास और विधायक के लिये हाईस्कूल पास होना चाहिये।

उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि चुनाव आयोग को निर्देश देने का अधिकार है, जहां कानून नहीं है वहां ये निर्देश ही कानून माने जावेंगे। इसका कारण यह है कि चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत Plenary Power प्राप्त है। यह कहना सही नहीं है कि न्यायाधीश को कानून बनाने का अधिकार नहीं है चूंकि न्यायाधीश तो सही कानून की घोषणा करता है। सन 2002 में चुनाव आयोग ने निर्देश दिये थे। उनका आज तक संशोधन नहीं हुआ है। अत: वर्तमान स्थिति को देखते हुये सरकार को चुनाव कानून में संशोधन करना होगा अथवा चुनाव आयोग को निर्देश देने होंगे।

निम्नलिखित विषय पर रूल्स बनाने चाहिये अथवा चुनाव कानूनों में संशोधन होना चाहिये :-

1) नामांकन पत्र में क्या क्या विवरण देना आवश्यक है तथा कौनसी गलत सूचना महत्व की है, उन्हें गलत भरने अथवा विवरण ही नहीं देने पर नामांकन पत्र खारिज हो सकता है।

2) चुनावों में काले धन का इस्तेमाल होता है अधिकांश लोगों के पास आय से अधिक प्रोपर्टी है, ऐसे लोगों को चुनाव लडने से रोका जाना चाहिये। इस संबंध में भी नियम व कानूनी प्रावधान होने चाहिये।

3) संसद या विधानसभा का चुनाव लडने वालों की मिनिमम शिक्षा आवश्यक होनी चाहिये। चुनाव कानून में प्रावधान होना चाहिये चुनाव खर्चे का सही विवरण नहीं दिये जाने पर चुनाव रद्द करने हेतु कानून बनाना चाहिये। जेल में होने पर चुनाव लडने की अनुमति न दी जावे। उम्मीदवार ऐसा कार्य नहीं करे जो संविधान के तथा देश की एकता व अखण्डता के विरूद्ध है तथा दूसरे के धर्म की आलोचना हो। उम्मीदवार अपने भाषणों में संयत भाषा का प्रयोग करे और ध्यान दे कि देश धर्म निरपेक्ष है।

4) जो उम्मीदवार मूल कर्त्तव्यों के विरूद्ध आचरण करता पाया जावे, उसे चुनाव लडने से Disqualify किया जावे। जैसे हिंसा में लीन होने व सार्वजनिक सम्पत्ति की तोडफोड करने वाले व्यक्ति को।

अगर सरकार कानून नहीं बनाती अथवा संशोधन नहीं करती तो स्वयं चुनाव आयोग निर्देश दे सकता है। चुनाव आयोग की शक्ति गाइडेड मिसाइल से कम नहीं है। लोकतंत्र में Fair and Free चुनाव होने चाहिये।

–अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

धीरजपुरा ग्राम में परिवार के सदस्यों ने मृत्युभोज बंद करने का निर्णय लिया

पगड़ी रस्म के दिन अतिथियों बांटे 101 पौधे, पर्यावरण की रक्षा का संकल्प दिलवाया

श्रीमाधोपुर, (निसं)। ग्राम धीरजपुरा में गुरावा परिवार ने एक नई पहल की है जो सराहनीय है। महादेव रामजी गुरावा 23 जून को पंचतत्व में विलीन हो गए थे जिनकी पगड़ी रसम 12 वां के दिन पूर्ण होने पर परिवार ने पांच पीपल के पेड़ शमशान भूमि में लगाये और आए हुए अतिथियों को 101 पेड़ देकर अपने घरों में लगाकर पर्यावरण प्रकृति की रक्षा का संकल्प दिलवाया।

मृत्यु भोज पूर्णता से बंद करते हुए श्रद्धांजलि सभा में आए हुए अतिथियों को सादा दाल रोटी खिलाकर एक नई पहल की। अखिल भारतीय एससी-एसटी महासंघ ब्लॉक खंडेला अध्यक्ष गोपाल गुरावा ने बताया कि, यह सब कार्य परिवार की सहमति व बाबा साहब अंबेडकर विचारधारा को फॉलो करते हुए पूर्ण करवाया गया है। परिवार के सदस्यों में पांच-भाई दो बहन हैं। ताराचंद, मदन, गोपाल, सोहन, विक्रम सिंह, सोनिया, सजना ने आए हुए सभी अतिथियों को महापुरुषों के साहित्य बांटे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शांति शिक्षा विहार सूरतगढ़ राजेंद्र निम्बाण जेपी बौद्ध खंडेला सीकर रहे। हरिद्वार में अस्थि विसर्जन भी बगैर दान दक्षिणा के की। सारे कार्यक्रम बौद्ध धर्म के रीति रिवाजों से किया गया था।

- **श्रद्धांजलि सभा में आए हुए अतिथियों को सादा दाल-रोटी खिलाकर एक नई पहल की**

श्रद्धांजलि सभा में आए हुए अतिथियों को परिजनों ने पौधे वितरित किये।

'मंदिर माफी की भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में यथावत रखें'

न्यायालय सहायक कलेक्टर ने स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया

करौली, (निसं)। करौली के भाजपा नेता अशोक पाठक की पहल पर मंदिर माफी की जमीन को राजस्व रिकॉर्ड में यथावत रखने के न्यायालय सहायक कलेक्टर ने स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया।

भाजपा नेता सामाजिक कार्यकर्ता अशोक पाठक ने मंदिर माफी की जमीनों को खुर्दबुर्द करने वाले व रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के मामलों को लेकर न्यायालय सहायक कलेक्टर के यहां परिवाद लगाया जिसमें पाठक ने खुलासा करते हुए बताया कि मंदिर ठाकुर जी प्रताप शिरोमणि कि खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 786, 789, 700, 90, 791, 806, 807, 808, 809 आदि खसरा नंबरों की कुल करीब 20 बीघा भूमि ससेड़ी गांव में स्थित है। उन्होंने खुलासा करते हुए बताया कि जिस मंदिर माफी की जमीन को सेटलमेंट विभाग को बगैर किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में खातेदारी काश्तकारी इंद्राज बदलने का कोई अधिकार नहीं है लेकिन यहां सेटलमेंट विभाग द्वारा मंदिर माफी की जमीनों की खातेदारी बिना किसी अधिकार के सायल ठाकुर जी के स्थान पर अब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल रजाक निवासी करौली के नाम राजस्व रिकॉर्ड में इंद्राज कर दिया और इसी इंद्राज के आधार पर अब्दुल हमीद के वारिसान के नाम राजस्व कर्मियों से मिलीभगत कर इंद्राज करा लिया जबकि ठाकुर जी शास्वत नाबालिक हैं और नाबालिक के खातेदारी को किसी भी सूरत में किसी व्यक्ति के नाम नहीं किया जा सकता है।

लेकिन यहां तो नियम कानून की अनदेखी करते हुए राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा लालच में आकर मंदिर माफी की जमीनों को भी उल्टा सीधा कर दिया जाता है। जिस मामले को न्यायालय सहायक कलेक्टर ने गंभीरता से लेते हुए उक्त जमीन पर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा सेवा बंद करते हुए हल्का पटवारी को पाबंद किया गया है कि भूमि को खुर्दबुर्द ना करें तथा मौके पर राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाए रखें।

गौरतलब यह कि यहां ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं जिला मुख्यालय स्थित शहर में स्थित मंदिरों की भूमि पर भू माफिया निडर होकर कब्जा जमाए हुए हैं और उन पर अवैध रूप से निर्माण भी कर लिए हैं। यही नहीं राजस्व रिकॉर्ड में भी राजस्व कर्मियों द्वारा हेराफेरी कर दी गई है जिन के मामले में पूर्व में राजस्व विभाग के अधिकारियों को खूब शिकायत भी लोगों द्वारा की गई लेकिन राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी शिकायतों को दबा कर बैठ गए और मंदिर माफी की भूमियों पर हो रहे कब्जा, अवैध निर्माण के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं।

- **ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं जिला मुख्यालय स्थित शहर में स्थित मंदिरों की भूमि पर भू माफिया निडर होकर कब्जा जमाए हुए हैं और उन पर अवैध रूप से निर्माण भी कर लिए हैं।**
- **सामाजिक कार्यकर्ता अशोक पाठक ने मंदिर माफी की जमीनों को खुर्दबुर्द करने वाले व रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के मामलों को लेकर न्यायालय सहायक कलेक्टर के यहां परिवाद लगाया था**

पाक नागरिक ने लोन पर उठाई बाइक

जोधपुर, (कासं)। भ्रमण यात्रा पर भारत आने वाले कई पाक नागरिक बिना दस्तावेजों के यहां पर रह रहे हैं। वे दलालों से सांठगांठ कर फर्जी दस्तावेज तक बना रहे हैं। ऐसे ही एक पाक नागरिक करतूस सामने आई है। जिसने ना सिर्फ फर्जीवाड़ा दस्तावेज बनाए बल्कि बैंक से लोन के आधार पर वाहन भी खरीद कर लिया। इसका खुलासा राज्य विशेष शाखा में होने पर अब बोरानाडा थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया है। पुलिस अब दस्तावेज जांच के साथ अन्य तफ्तीश में जुटी है कि उसने किसके सहयोग से दस्तावेज बनाए और बिना भारतीय नागरिकता के गाड़ी को लोन पर कैसे उठा लिया।

राज्य विशेष शाखा की तरफ से रिपोर्ट बनाकर बोरानाडा थाने में भिजवाई गई। इस रिपोर्ट में खुलासा है कि पाक के सिंध स्थित टुण्डी गुलाम अली का रहने वाला सुनील पुत्र अर्जुन कुमार माहेश्वरी यहां बिना भारतीय नागरिकता लिए रह रहा है। साथ ही उसने फर्जी तरीके अपने आधार, पेन कार्ड, चालक लाईसेंस तक बना लिए हैं। इसके अलावा उसने बैंक में खाता खुलवा कर बाइक लोन उठाया है। इसका पता राज्य विशेष शाखा की तरफ से की गई पड़ताल में हुआ है।

रेल्वे ओवरब्रिज उद्घाटन के इंतजार में

मंत्री-विधायक की ओर से निश्चित तिथि नहीं मिल रही

हिण्डौन सिटी, (निसं)। शहर से होकर गुजर रहे राहगीरों के साथ क्षेत्रवासियों के लिए आठ साल में झारेडा रोड स्थित बाईपास पर नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज (आर.ओ.बी.) तैयार हो चुका है। उद्घाटन के लिए मंत्री-विधायक की ओर से निश्चित तिथि मिलने का इंतजार है।

आरएसआरडीसी की ओर से राज्य सरकार को उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया है। राज्य सरकार की ओर से झारेडा रोड स्थित बाईपास पर नए आरओबी निर्माण के लिए 31.35 करोड रुपए के बजट मंजूर होने पर आरएसआरडीसी की निगरानी में 2015 में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य का शुरू हुआ। निर्माण की अवधि 2 साल रखी गई। जिसमें 2017 में रेलवे ओवरब्रिज तैयार होना था। दोनों तरफ रैम्प के मध्य गर्डर डालने के लिए इसी वर्ष रेलवे ने स्वीकृति दी। जिसमें नए साल की शुरुआत में 12 जनवरी को करीब 3 घंटे का मेगा ब्लॉक लेकर 2 गर्डर डाले गए। रेलवे की ओर से 3 दिन के लिए मेगा ब्लॉक दिया। जिसके बाद 6 माह स्लैब, फिनिशिंग कार्य, आरओबी की दीवारों पर पेंटिंग से सौन्दर्यकरण, डिवाइडर, क्रॉस वैरियर, रैलिंग और संकेतक लगाने का कार्य पूर्ण हो चुका है।

जिले के प्रसिद्द धार्मिक स्थली कैलादेवी, श्रीमहावीरजी व बालाजी दर्शनों केलिए देश भर से वर्ष भर 10 लाख से अधिक यात्री निजी साधनों से यहां होकर गुजरते हैं। जिसमें चैत्रीय माह में उत्तर भारत के प्रसिद्द लक्खी मेला में कैलादेवी माता के दर्शनों के लिए ही पदयात्रियों के साथ निजी साधनों से 20लाख से ज्यादा यात्री इसी मार्ग से गुजरते हैं। व्यवसायिक दृष्टिकोण से कृषि उपज मंडी यार्ड, को औधोगिक, कृभको, स्लेट उद्योग, पत्थरों के व्यवसाय, रेल परिवहन से यूरिया के आवागमन व फल-सब्जियों की मंडियों में बड़े वाहनों की दैनिक आवाजाही बनी होने से यहां बाईपास मार्ग का संचालन होना यहां की घनी आबादी के लिए बड़ी मांग रही।

कृषि उपज मंडी के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप गर्ग ने बताया कि मंडी क्षेत्र में सीमावर्ती गांवों से किसान मंडी में फसल बेचने के लिए परिवहन साधनों से पहुंचते हैं।

इधर आरएसआरडीसी के धौलपुर यूनिट प्रभारी, सियाराम मीना का कहना है कि झारेडा रोड स्थित नए आरओबी के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। उद्घाटन के लिए विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ क्षेत्रीय विधायक को पत्र भेजकर तिथि मांगी गई है।

- **झारेडा रोड स्थित बाईपास पर नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज (आर.ओ.बी.) तैयार हो चुका है**

विभाकर शास्त्री ने पुष्कर में पूजा-अर्चना व दरगाह में जियारत की

अजमेर, (कासं)। भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं कांग्रेस के दिग्गज नेता विभाकर शास्त्री ने गुरुवार को एक दिवसीय प्रवास के दौरान तीर्थराज पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना की एवं विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर देश एवं प्रदेश में सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की।

शास्त्री का पुष्कर पहुंचने पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संजय जोशी, पार्षद शरद वैष्णव, ताराचंद गहलोत, दामोदर मुखिया, जगदीश कुर्डिया, रविन्द्र नागौरा, गौरीशंकर पाराशर, जितेन्द्र गहलोत पुखराज मोहित मल्होत्रा आदि ने माल्यार्पण कर साफा पहनाकर स्वागत किया। कांग्रेस नेता शास्त्री ने महात्मा ज्योतिबा फुले की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस नेता विभाकर शास्त्री आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर मखमली चादर एव अकीदत के फूल चढ़ाकर जियारत कर देश एवं प्रदेश में अमन चैन शांति एवं सांप्रदायिक सौहार्द की दुआ की। इस अवसर सैयद अब्दुल हमीद चिश्ती, सैयद बाबर चिश्ती, सैयद अजमत हुसैन चिश्ती, अब्दुल रजूज़ाक़ भाटी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पौत्र एवं कांग्रेस के दिग्गज नेता विभाकर शास्त्री के अजमेर आगमन पर कांग्रेसियों ने जयपुर रोड पर माला पहनाकर साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान महासचिव शिव कुमार बंसल, महेश चौहान, पार्षद सुनीता चौहान डॉ संजय पुरोहित, हारून रंगरेज, सुमेर सिंह चारण, नगर निगम अजमेर में नेता प्रतिपक्ष द्रोपदी कोली, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा, एनएसयूआई के अध्यक्ष अब्दुल फरहान अख्तर कुरैशी, सत्या लखन, मोहम्मद कैफ, गौरी शंकर पाराशर, हारून खान सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे।

- **शास्त्री ने देश एवं प्रदेश में सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की**
- **पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पौत्र एवं कांग्रेस नेता हैं विभाकर शास्त्री**

राशिफल शुक्रवार 7 जुलाई, 2023

पंडित अनिल शर्मा

प्रथम सावन मास (शुद्ध), कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2080, शतभिक्षा नक्षत्र रात्रि 10:16 तक, आयुष्मान योग रात्रि 8:24 तक, कौलव करण दिन 1:45 तक, चन्द्रमा आज कुम्भ राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मिथुन, चन्द्रमा-कुम्भ, मंगल-सिंह, बुध-मिथुन, गुरू-मेष, शुक्र-सिंह, शनि-कुम्भ, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

कुमार योग रात्रि 10:16 से सूर्योदय तक है। आज नाग पंचमी, मेलाभ नाग पंचमी और हरदेव पूजा, पंचक है।

सर्वश्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:25 तक, लाभ-अमृत 7:25 से 10:44 तक, शुभ 12:32 से 2:14 तक, चर 5:38 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 5:43, सूर्यास्त 7:20

मेष
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी और कार्यों में प्रगति होगी। दिन के मध्यान्ह पश्चात पारिवारिक कारणों से बाहर जाना पड़ सकता है।

वृष
व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। आवश्यक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

मिथुन
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक मामलों में परिचितों से सहयोग मिलेगा।

कर्क
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। आवश्यक कार्यों में विलम्ब होने का भय बना रहेगा। नवीन कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

सिंह
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। सामूहिक प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में प्रसन्नता-हर्षोल्लास का माहौल रहेगा।

कन्या
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। आवश्यक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला
व्यावसायिक मामलों में दुविधा बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक मामलों में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा।

वृश्चिक
घर-परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ रहेगी और नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा।

धनु
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

मकर
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। परिवार में मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं।

कुंभ
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी।

मीन
घर-परिवार के कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी। आज अनर्गल कार्यों में समय खराब होगा। मन में असंतोष बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।